

आदेश पत्रक

(देशी अधिनियम संख्या 1981 का विभाग 129)

सुविधा नम्बर
रजदर
2015-16

आदेश पत्रक संख्या: 07/15-16
जिला: राजपुर
किसान का प्रकार - खादी/रैयती भूमि का सिमांकन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिमाकी तारीख सहित										
1	2	3										
<p><u>26-1-15</u></p>	<p>आवेदक <u>सुविधा नम्बर 132/15</u> जिला का नाम <u>राजपुर</u> ग्राम <u>राजपुर</u> खाना - <u>विश्रामपुर</u>, जिला <u>पलामू</u> में अपनी खरीदी हुई खेतीयानी भूमि के अंचल अमीन से सिमांकन कराने के लिए आवेदन देकर अनुरोध किया है।</p> <p>भूमि का विवरण</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राजपुर</td> <td>132-</td> <td>- 136</td> <td>1562-</td> <td>0.80 ¹/₂</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">अंचल अधिकारी नाथ बाजार।</p>	ग्राम	खाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	राजपुर	132-	- 136	1562-	0.80 ¹ / ₂	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">318702 917115</p>
ग्राम	खाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा								
राजपुर	132-	- 136	1562-	0.80 ¹ / ₂								
<p><u>717115</u></p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि का जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्म०/अंचल निरीक्षक से प्राप्त हुआ जिसमें अंचल अमीन ने एक/दो दिन के सिमांकन शुल्क जमा करने हेतु प्रतिवेदित किये हैं।</p> <p>आवेदक <u>सुविधा नम्बर 132/15</u> को आदेश दिया जाता है कि नाजीर के पास शुल्क 500/- रु० नगद जमाकर नाजीर से रसीद प्राप्त कर ले। नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक <u>सुविधा नम्बर 132/15</u> से सिमांकन शुल्क जमा लेकर रसीद निर्गत करें।</p> <p>उदनुसार भूमि सिमांकन के लिए अंचल अमीन निर्गत करें तथा उन्हे आदेश दिया जाता है कि भूमि का सिमांकन करे। प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समाप्त करें।</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">अंचल अधिकारी नाथ बाजार।</p>	<p>देखा। अ. अ. अमीन कृष्णा जरीब/आधीन सूते से कृष्णा से जोप/जरीब के अभाव के गरीब लोग मरे हैं। अ. अ. अमीन 9/16/2015 सिमांकन हेतु कागद पर पामा <u>सुविधा नम्बर 132/15</u> 25/8/2015</p>										

अभिलेख उपस्थापित

अभीष्ट कमा लेने सागरी प्रतिवेदन बना

बाड़ी किमा गया ही कारण पृच्छा करी हुए, दिनांक 22-2-17
की प्रतिवेदन आवश्यक रूप से बना करी हुए नोटिफ
लिगति करे। साथ ही दिनांक 17-2-17 की बापी हेतु
अभीष्ट कमा लेने की नोटिफ लिगति करे।

11/11/17

24.2.203

अभिलेख उपस्थापित। अंतर्गत अभीष्ट/अभिलेख
द्वारा प्रतिवेदन है कि मासी कुलर बना रहे।
किसे जानें तथा online उपस्थापित के अफम
प्रतिवेदन के लिए काठ समाप्त की जाती है।

20

सेवा में
श्रीमान अंचल पदाधिकारी
मावा बाजार पत्थार।

विषय: सिमांकन बाढ़ संख्या 7/2015-2016 के प्रतिवेदन संबंध में।


महाराज

श्रीमान के आदेशबुसार सिमांकन बाढ़ संख्या 7/2015-2016 के द्वारा सिमांकन शुल्क जमा करने का आदेश मिला था लेकिन सिमांकन शुल्क संग्रह नहीं हो पाया करने का कारण सिमांकन नहीं किया जा सका। वर्तमान में आँगन लगे हो जाने कारण आँक लगे का सिमांकन शुल्क जमा नहीं हो पाया तथा इस बाढ़ का कारवाई शगाए जा सकती है।

आतः श्रीमान के श्रेष्ठ प्रतिवेदन सम्बन्धित।


(ब.ग.प.ग.)

सुधीर उां उमीन
उां मावा बाजार
24.2.2023


24.2.23